अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख–26/08/2020 से 19/09/2020 तक।

जिला–.........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–.......18...............सन्–....2020–21.........।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार–शंकु चन्द्र सेन बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू वगैरह।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
19.09.2020		

आदेश

अपीलार्थी–शंकु चन्द्र सेन, पिता–गिरजा शंकर सेन, सा०–पुराना बाजार टोली, बुण्डू, पो०+थाना–बुण्डू, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–192 R 27/2018-2019/बुण्डू, में दिनांक–4/1/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डूडीह	बुण्डू	29	30	294	03 डिसमील

चौहदीः– उ०–राखोहरि चक्रवर्ती, द०–विक्रेता नीज, पू०–आशुतोष भगत, प०–प्रस्तावित रास्ता।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में निम्न कथन कहते हैं –

1. यह कि अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि दिनांक–31/05/2017 को निबंधित डीड संख्या–205/200 के माध्यम से चंद्रावती देवी, पति–स्व० हरि प्रसाद दास से नियमानुसार खरीदा है, एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है।
2. यह कि उपरोक्त जमीन अंचल कार्यालय बुण्उू के पंजी ।। में नाम चंद्रावती देवी, पति–स्व० हरि प्रसद दास के नाम से दर्ज है जो विक्रेता स्वंय है।
3. यह कि चन्द्रावती देवी उर्फ चाँदमनी देवी दोनों एक ही और है आरेर पट्टा संख्या–205/200 चन्द्रावती देवी उर्फ चाँद मनी देवी विक्रेता हैं।
4. यह कि अंचल अधिकारी, बुण्डू ने उपरोक्त दाखिल खारिज वाद सं०–192 R 27/2018-19 को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि नामांतरण हेतु आवेदित भूमि की जमाबंदी विक्रेता के नाम से कायम नहीं है।

अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

अभिलेखबद्ध आवेदन के साथ संलग्न निम्न न्यायालय के नामांरण मुकदमा सं०–192 R 27/2018-2019/बुण्डू. का अस्वीकृति की सूचना का प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार नामांतरण हेतु आवेदित भूमि की जमाबन्दी विक्रेता के नाम से कायम नहीं है। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा उक्त नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (**REMAND**) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।